COVID-19
URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/ 1560 दिनांक :10/04/2020

आदेश

गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2) गृह–9/2019 जयपुर , दिनांक 22.03.2020 द्वारा संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन की अवधि में जनसामान्य को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में निहित शक्तियों को उपयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता हूँ:–

1. जिले में समस्त बैंक शाखाओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों के लिए लेनदेन का समय बढ़ाते हुए प्रातः 9:00 से सांय 4:00 बजे तक निर्धारित किया जाता हैं।

2. इस दौरान बैंक शाखा द्वारा सोशल डिस्टेंशन की अनुपालना करवाते हुए शाखा में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पेपर टोकन व्यवस्था लागु की जाए तथा ग्राहकों में दूरी बनाए रखने हेतु उनके खड़े रहने के लिए निशान चिन्हित करें।

3. सोशल डिस्टेंसिंग एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैंक शाख आवश्यकतानुसार होमगार्ड /सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें।

उक्त सभी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे। ऐसा ना करने अथवा असहयोग या अवरोध उत्पन्न करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाह की जाएगी।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु.,
बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/1561-67 दिनांक :10/04/2020
प्रतिलिपि – निम्नाकिंत को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. स्टेट वार रूम, कोरोना वायरस ,जयपुर
2. संभागीय आयुक्त,जोधपुर।
3. पुलिस अधीक्षक,बाड़मेर।
4. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
5. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
6. प्रभारी अधिकारी,कन्ट्रोल रूम(कोरोना)।
7. सम्बन्धित अधिकारी.......................................।

जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु.,
बाड़मेर